

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन सम्भाग क्र.1 धार (म.प्र.)

दूरभाष : 07292-222539 फेक्स नं. 07292-232433-409367 email : eewrd_dhar@yahoo.com

पत्र क्र. 4274 / कार्य / 16

धार दिनांक 20-12-2016

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वनमण्डल
धार

विषय:- चुनार, तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाली वनभूमि का प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करने बाबद।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. मा.वि./16/5518/धार दिनांक 8/12/16

उपरोक्त संदर्भित विषय में लेख है कि, कलेक्टर जिला धार के आदेश क्र. 192/अ-19(3) 2015-16/दिनांक 07/09/16 से चुनार, तालाब के डूब से प्रभावित वनभूमि के स्थान पर राजस्व भूमि आपको आवंटित की गई।

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि का सीमांकन एवं अतिक्रमण मुक्त कर निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति राजस्व अधिकारियों से पूर्ण करवाकर भूमि वन विभाग को दिनांक 16/12/16 को सौंप दी गई है।

उक्त तारतम्य में वनपरीक्षेत्राधीकारी सरदारपुर, जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग का अमला दिनांक 16/12/16 को मौका स्थल पर उपस्थित हुये थे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र. अधि-कक्ष/2016/40/दिनांक 13/01/16 के अनुसार 1 से 11 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार समस्त अभिलेख एवं प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

कलेक्टर जिला धार से आवंटित राजस्व भूमि का पूर्ण रुप से अतिक्रमण राजस्व अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है व उसके पश्चात दिनांक 16/12/16 को राजस्व भूमि का वास्तविक हस्तांतरण वन विभाग को किया जा चुका है। हस्तांतरण अभिलेख/प्रमाण पत्र पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किये गये प्रकरणों में अभिलेख सलग्न कर प्रपत्रों की फार्म-1 आन लाईन इन्ट्री करते हुये हार्डकापी 5-5 प्रतियों में आपकी ओर प्रस्तुत है। फार्म-2 की कार्यवाही अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एन.एल. अहिरवार)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्र.1

धार (म.प्र.)

धार दिनांक 20-12-2016

पत्र क्र. 4275 / कार्य / 16

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार जल संसाधन विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल धार की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला धार की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्र.1

धार (म.प्र.)